बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 20 सत्र- 185वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
मंगलवार, दिनांक 28.3.2017 ई.

माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.10 अपराह्न तक

1. आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की बैठक आरंभ होते ही माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने कल हुई घटना के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, जबकि माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मुख्य सचेतक, विरोधी दल, श्री रजनीश कुमार से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार संख्या-4, 5, 6 एवं 25 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है। प्रस्ताव के समर्थन में विरोधी दल के माननीय सदस्यगण जोर-जोर से बोलने लगे तथा नारेबाजी करते हुए सदन वेश्म में चले आये जबकि माननीय सदस्य, श्री मंगल पाण्डेय अपने स्थान से बोलते रहे एवं माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री सुशील कुमार मोदी अपने स्थान पर बैठे रहे।

माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने कल हुई घटना के संबंध में आसन के निर्णय की मांग की।

2. आसन की सूचना

आसन से माननीय सभापति महोदय ने सदन को सूचित करने की कृपा की कि आज सुबह 10.30 बजे सभी दल के नेताओं की बैठक हुई । बैठक में वीडियो फुटेज देखा गया । देखने के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में माननीय सदस्य, श्री लाल बाबू प्रसाद को एक दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है । आप सभी लोगों से आग्रह है कि अपने-अपने प्रस्ताव वापस ले लें।

आसन के बार-बार अनुरोध के बावजूद सदन के व्यवस्थित नहीं रहने की स्थिति में सदन की बैठक 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।

(अंतराल)

3. आसन से अनुरोध एवं माननीय सदस्य के निलंबन वापसी की घोषणा

माननीय सदस्य, श्री लाल बाबू प्रसाद के संबंध में माननीय नेता, प्रतिपक्ष श्री सुशील कुमार मोदी सहित अनेक माननीय सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया कि उनका निलंबन वापस लिया जाए। माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने आसन से आग्रह किया कि हम आसन को ऑथोराईज करते हैं कि इस संबंध में निर्णय लें। आपने जो नियमन दिया है, उस नियमन को स्वीकार करते हुए हम अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं। आसन से कहा गया कि नियमन तो दोनों तरफ को स्वीकार है, उसमें कहीं कोई चैलेंज नहीं है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने आग्रह किया है, यह तो एक याचिका दायर की जाती है कि इसपर पुनर्विचार हो, तो सदन की सहमति से निर्णय हुआ है, तो सदन ही न कहेगा। सभी लोगों की एक बैठक हम इस पर बुलायेंगे सदन चलाने के लिए कि सदन शांतिपूर्ण ढंग से चले। जब माननीय मंत्री खड़े होते हैं तो आप सुन लीजिये, इसके बाद प्रश्न कीजिये। या तो माननीय नेता, प्रतिपक्ष खड़े होते हैं तो सबको बैठ जाना चाहिये, माननीय सदन नेता खड़े होते हैं तो उस समय किसी को नहीं बोलना चाहिये। ये सारी बात पहले से भी है। तदुपरांत आसन द्वारा निलंबन वापसी पर सदन की सहमति ली गई तथा अन्य सदस्यों के संबंध में जो पक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्यों के प्रस्ताव थे, वे भी सदन की सहमति से वापस हुए। माननीय सदस्य, श्री लाल बाबू प्रसाद का सदन में जो निलंबन हुआ, उसे वापस लिया गया।

4. परिनियत कार्य

माननीय मंत्री, श्री कपिलदेव कामत द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-15 के अधिकाई व्यय की विवरणी की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई।

5. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार द्वारा हाजीपुर के रामाशीष चौक से संचालित बसों से हो रही अवैध वसूली, राजस्व की क्षति तथा पदाधिकारियों की संलिप्तता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री चन्द्रिका राय ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत बिहार में किए गए कार्यों के विस्तृत प्रतिवेदन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने वक्तव्य दिया।

3. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में गृह विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने वक्तव्य दिया।

4. माननीय सदस्य, डा. रामवचन राय द्वारा मुंगेरी लाल की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

5. माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), मुजफ्फरपुर द्वारा बरती जा रही अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने वक्तव्य दिया।

6. माननीय सदस्य, श्री लाल बाबू प्रसाद द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने वक्तव्य दिया।

7. माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल की दयनीय स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री चन्द्रिका राय ने वक्तव्य दिया।

(इस अवसर पर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन ग्रहण किया)

8. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार एवं अन्य दस माननीय सदस्यगण द्वारा विधान सभा सदस्यों के अनुरूप विधान परिषद् सदस्यों को भी ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में अनुशंसा प्राप्त किए जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से 31.3.2017 को उत्तर दिया जाएगा।

6. **वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर**
(पंचायती राज, खान एवं भूतत्व, गृह विभाग)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए –

1. श्री सतीश कुमार
2. श्री राधाचरण साह
3. श्री नीरज कुमार
4. डा. दिलीप कुमार जायसवाल
5. श्री कृष्ण कुमार सिंह
6. श्री संजय प्रसाद
7. श्री सुनिल कुमार सिंह
8 श्री सुमन कुमार

विभागवार वाद-विवाद के उपरांत सरकार का वक्तव्य

1. श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री ने वक्तव्य दिया एवं वक्तव्य का शेष भाग सदन पटल पर रखा।

7. **सदन का समय बढ़ाया जाना**

माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह के प्रस्ताव पर कि सरकार का उत्तर होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय, सदन की सहमति से समय बढ़ाया गया।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर

2. श्री कपिलदेव कामत, माननीय मंत्री ने सदन पटल पर अपना वक्तव्य रखा।
3. श्री सुनेश्वर चौधरी, माननीय मंत्री ने सदन पटल पर अपना वक्तव्य रखा।

8. **निवेदन**

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. प्रो. संजय कुमार सिंह
2. श्री विनोद नारायण झा
3. श्री सतीश कुमार
4. डॉ. रामवचन राय
5. श्री केदारनाथ पाण्डेय

6. श्री संजीव श्याम सिंह
7. श्री संजय प्रसाद
8. श्रीमती मनोरमा देवी
9. श्री कृष्ण कुमार सिंह
10. श्री हीरा प्रसाद बिन्द
11. श्री सोने लाल मेहता
12. श्री राधाचरण साह
13. श्री रामचन्द्र भारती
14. श्री संतोष कुमार सिंह
15. श्री आदित्य नारायण पाण्डेय
16. श्री दिलीप कुमार चौधरी
17. प्रो. नवल किशोर यादव
18. श्री संजय प्रकाश
19. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक बुधवार, दिनांक 29.3.2017 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

28/3/2017

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक- 447 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 28.3.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
28-03-2017

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्